

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व
 कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
 सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
 व्यवहार हुआ हो तो उसका एवं विवाद
 अवश्य लिखा जाए जिससे सावधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
 दूरभाष : (0751) 2341896
 (0751) 2442829
 फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर
 क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/५७६३

दिनांक: ०१.०६.१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने सम्बद्ध इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस ऐजेन्सी एण्ड साइंस महाविद्यालय, आदित्यपुरग
 ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिए प्रस्तावित/संचालित श्री.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु
 अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माव श्री कुलपति महादेव/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय
 अधिनियम 1973 के परिवियम 27(1)(c) के अन्वर्गत निनानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. डी.सी. तिवारी, आचार्य भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
 (0751-2442756)
- (2) प्रो. ए.के. हल्ले, आचार्य, राज्यन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. मुकेश कटारे, व्याख्यात; शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुभूति है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर
 शुल्क, घरेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त धनुगति/अबापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं
 पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में भी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की
 विद्युतितर्याएँ का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपालिका के ब्रैण्डाबुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी
 समिति के सभा प्रस्तुत किए जाए हैं। ताकि समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्राहकविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों
 का यह उत्तरदायित है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण नियांत्रित राशि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि
 कोई श्री महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के बिचारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम गाह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं
 करता है तो संबंधित संयोजक त्वयं समिति ने के सदस्यों के साथ किसी श्री दिव संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन
 विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जंगा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन
 स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। जो ही ग्राहकविद्यालयों के लिए पुरुष समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा
 सकेगा।

“निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्रा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की
 वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को श्री.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय
 होगा।”

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर मोजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण
 दिनांक नियांत्रित कर महाविद्यालय द्वा निरीक्षण करायें। उत्तर निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के श्रेष्ठी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विवर पर यदि पूर्ण में पञ्च
व्यवहार हुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिलाक
अवश्य लिखा जावे जिससे सरिष्ठा हो।



ग्राम : यूजीविएटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एक/सम्बद्धता/2009/ 5241

दिनांक: 14/09/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस डॉ.पोलॉन्जी एण्ड साइंस महाविद्यालय, आदित्यपुराम, ग्वालियर (0751-2330730) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/टांगा लेत बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की
अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अनुरूप निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया
है :-

- (1) ग्रो. उमेश होलानी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्धन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442704)
- (2) ग्रो. विकेन्द्र बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. बी.ए.ल. यादव, शा. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रगाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईंजेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति या प्रगाण पत्र ले तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रगाण एवं वेतन आवि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्पक स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेदन दें कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय द्वारा उत्तरदायी होगा। यिसकी सूचना
आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बहाने करता है तो समिति द्वारा विस्तृत हो
जावेगी और पुरुष निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड ख्वलप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात ही निरीक्षण
समिति का पुर्वजगदन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुरूप सम्बद्धता प्राप्त किए विवाहों को प्रवेश देव: अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय ग्राहक प्रावधानी लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की
वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के उदास्यों को दी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय
होगा।

3mop's
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण
दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)